

**झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय**

**-: आह्वान पत्र :-**

पत्र सं०-कार्य०का०सू०-02/2020-.....18...../वि०स०।

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद,  
सचिव,  
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।  
माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण, झारखण्ड सरकार, राँची।

राँची, दिनांक- 14/02/2020

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि झारखण्ड की माननीया राज्यपाल महोदया ने भारत का संविधान के अनुच्छेद-174 के खण्ड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधान-सभा को सभा-वेश्म, राँची में दिनांक-28 फरवरी, 2020 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अधिवेशित होने के लिए आहूत किया है।

माननीया राज्यपाल महोदया के आदेश से इस संबंध में दिनांक-14 फरवरी, 2020 को जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न है।

अतः झारखण्ड विधान-सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम-3 के अधीन मैं आपसे निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए अनुरोध करता हूँ।

विश्वासभाजन,

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

अरुण

3/1/20  
14.02.2020